HANS

PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 02

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1799/2023		
राज्य	**बनाम**	मनीराम यादव आदि

नाम साक्षीः धनीराम पुत्र स्व० लल्लू	अपराध संख्या- 197A/2013
उम्रः लगभग 63 वर्ष, पेशाः कृषि	धारा- 308, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता
साक्षी का पताः ग्राम खैरुआपुर, थाना ककवन, जनपद कानपुर नगर	थाना-ककवन, कानपुर नगर।

दिनांकः-10.02.2025

मैं **साक्षीः धनीराम पुत्र स्व० लल्लू, उम्रः लगभग 63 वर्ष, पेशाः कृषि, साक्षी का पताः खैरुआपुर, थाना ककवन, कानपुर नगर** यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि.....

1. मेरे बड़े पुत्र का नाम धरम है। दूसरे बेटे का मनोज व तीसरे (सबसे छोटे) बेटे का नाम कमलेश है। दिनांक 01.11.2013 को हम सभी लोग सुबह लगभग दस बजे अपने दरवाजे पर मौजूद थे। मेरे साथ मेरा बेटा कमलेश व धरम व मनोज मौजूद थे।

2. मनीराम व शीलू भी मौके पर आ गये थे। लड़कों-लड़कों में बातचीत हुई थी। मेरे किसी ने मारापीटा नहीं था। मेरे कहीं पर भी चोट नहीं आयी थी। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिये थे।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। मा० न्यायालय से जिरह हेतु अनुमति मांगी गयी। मा० न्यायालय द्वारा जिरह हेतु प्रदान की गयी।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन

3. धरम व कमलेश मेरे बेटे हैं। मेरे व मेरे बेटे धरम व कमलेश के खिलाफ मारपीट का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। यह मुकदमा कमलेश द्वारा लिखाया गया था। मनीराम व शीलू के खिलाफ भी मुकदमा मा० न्यायालय में चल रहा है जिसमें मैं आज गवाही देने आया हूँ।

4. मनीराम मेरे सगे भाई हैं। शीलू मेरा भतीजा है। अब हमलोग आपस में कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहते क्योंकि हमारा व अभियुक्तों के बीच समझौता हो गया है।

5. घटना की रिपोर्ट मेरे बेटे कमलेश ने लिखायी थी। धनीराम मेरे सगे भाई हैं व शीलू मेरा भतीजा है इसलिये हम इस मुकदमें में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

6. जो मुकदमा मनीराम ने हमलोगों के खिलाफ दर्ज कराया है उसमें वो लोग भी हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहत हैं।

7. यह कहना सही है कि अभियुक्तगण मेरे पारिवारिक हैं इसलिए मैं इस मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्तगण

8. मैं इण्टर पास हूँ। मनीराम मेरा सगा भाई है तथा शीलू मेरा भतीजा है। दिनांक 01.11.2013 को मनीराम व शीलू से कोई गालीगलौज व मारपीट नहीं हुई थी और न ही दोनों लोगों ने मुझे मारा था। चोटें मैं फिसल कर गिर गया था उससे आयी थी। गाँववालों के कहने पर मेरे बेटे ने यह मुकदमा लिखवा दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। दरोगा

जी घटनास्थल पर कभी नहीं आये थे और न ही उन्होंने घटना का नक्शा बनाया था।

9. यह कहना सही है कि मनीराम व शीलू ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।